प्रेस नोट

जनपद अम्बेडकरनगर

दिनांक-06.07.2024

जनपद अम्बेडकरनगर थाना बेवाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम संगिया नरायनपुर में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए कुल 04-अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त एक अदद अवैध पिस्टल व वाहन तथा एक अदद चापड़ के साथ किया गया गिरफ्तार।

घटना के बारे में उल्लेखनीय है कि-दिनांक-06.07.2024 को थाना बेवाना जनपद अम्बेडकरनगर पर सूचना प्राप्त हुई की थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम संगिया नरायनपुर के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की गई तो शव की पहचान विनोद उपाध्याय पुत्र बाबूराम उपाध्याय निवासी उस्मापुर ताराखुर्द थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर उम्र- लगभग-45 वर्ष के रूप में हुई प्रकरण के सम्बन्ध में मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-92/24 धारा-103(1)बीएनएस 2023 बनाम यशवन्त यादव पुत्र राजमन यादव व सुनील यादव पुत्र राजमन यादव निवासीगण बरामद लोहरा थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर पंजीकृत किया गया।

घटना के सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल टीम गठित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में पुलिस टीम द्वारा घटना उपरोक्त में अभियुक्त-01-सुनील यादव पुत्र राजमन यादव निवासी बरामदपुर लोहरा थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर। 02-अनूप यादव उर्फ राम अनुज यादव पुत्र सरजूराम यादव निवासी होरिलपुर थाना बेवाना जनपद अम्बेडकरनगर 03-रवि यादव पुत्र स्व0 रामकिशुन यादव निवासी सोनगांव को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर 04-यशवन्त यादव पुत्र राजमन यादव निवासी बरामदपुर लोहरा थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर को मुखबिर की सूचना पर रसूलपुर दियरा अण्डरपास से लखनऊ जाने वाली सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

विवरण पूछताछ-गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पुलिस पूछताछ में बताया गया कि मृतक विनोद उपाध्याय उपरोक्त द्वारा अभियुक्त सुनील यादव से ब्याज के (कई लाख रुपये) पैसे का लेनदेन था जिससे मृतक बार-बार हर जगह पैसे मांगता था तथा बेइज्जत करता था कभी-कभी-घर पर भी आकर बेइज्जत करता था तथा कल बीती रात मृतक द्वारा अभियुक्त सुनील यादव उपरोक्त को फोन करके कहा कि मै पैसे लेने आ रहा हु घर पर मिलना जिससे अभियुक्त सुनील यादव द्वारा अपने दोस्त अनूप यादव व रवि यादव व भाई यशवन्त तथा

दिलीप यादव के साथ मिलकर घटना में प्रयुक्त वाहन से थाना बेवाना ग्राम संगिया नरायनपुर के पास मृतक विनोद उपाध्याय उपरोक्त को गोली मारकर तथा चापड़ मारकर हत्या कर दी।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त-

01-सुनील यादव पुत्र राजमन यादव निवासी बरामदपुर लोहरा थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर।

02-अनूप यादव उर्फ राम अनुज यादव पुत्र सरजूराम यादव निवासी होरिलपुर थाना बेवाना जनपद अम्बेडकरनगर

03-रवि यादव पुत्र स्व0 रामकिशुन यादव निवासी सोनगांव को0 अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

04-यशवन्त यादव पुत्र राजमन यादव निवासी बरामदपुर लोहरा थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर

विवररण फरार अभियुक्त-

01-दिलीप यादव पुत्र राजमन यादव निवासी बरामदपुर लोहरा थाना महरुआ जनपद अम्बेडकरनगर।

विवरण बरामदगी-

01-एक अदद 32 एमएम की अवैध पिस्टल (घटना में प्रयुक्त)

02-एक अदद जिन्दा कारतूस 32 एमएम

03-घटना में प्रयुक्त वाहन (चार पहिया)

04-घटना में प्रयुक्त एक अदद चापड़ (अनूप यादव के पास से)

विवरण पंजीकृत अभियोग-

01- मु0अ0सं0-92/24 धारा-103(1)बीएनएस 2023 थाना बेवाना जनपद अम्बेडकरनगर (मुकदमा उपरोक्त में धारा-191(2), 191(3), 90, 61(2), 3(5) बीएनएस व 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।)

विवरण गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

01-थानाध्यक्ष श्री प्रेमचन्द्र मय पुलिस टीम थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकरनगर।

02-प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 अजय प्रताप मय टीम

03-प्रभारी सर्विलांस उ0नि0 राजीव श्रीवास्तव मय टीम